रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D. (D)-72

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
No.
Date 4 JUL
GOVT. OF INDIA

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 116] नई दिल्ली, शनिवार, जून 2, 1979/ज्येष्ठ 12, 1901

No. 116] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 2, 1979/JYAISTHA 12, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आयात व्यापार नियन्त्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 29-आईटीसी/(पी एन)/79

नई दिल्ली, 2 जून, 1979

विषय :—जंगावरोधी इस्पात मदों की सरणीबद्ध मदों का आयात/वितरण।

(मिसिल सं० आई पी सी 43/5/78 से जारी) वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं० 26-आई टी सी (पीएन)/79 दिनांक 3 मई, 1979 के अंतर्गत प्रकाशित आयात निर्यात क्रियाविधि हैण्डबुक 1979-80 के अध्याय 12 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. उक्त अध्याय के वर्तमान पैरा 284 के बाद निम्नलिखित नया पैरा जोड़ा जायेगा :—

"284—क, आयात के लिये सरणीबद्ध जंगावरोधी इस्पात की मदों के संबंध में वितरण के लिये क्रियाविधि निम्नलिखित अनुसार होगी :

(1) जंगावरोधी इस्पात की प्लेटें, चद्दरें और पट्टियां बरमिंघम गेज "(बीजी)" के अनुसार अभिव्यक्त की जानी चाहिये न कि स्टैण्डर्ड वायर गेज "(एसडब्ल्यू जी)" में जो कि केवल तारों के लिये संगत है;

(2) वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) जो राजस्व विभाग की अधिसूचना सं० 133/एफ 370/189/77-कस्टम दिनांक 1 अगस्त, 1978 के अन्तर्गत सीमाशुल्क कर की रियायती दर स्वयं उपलब्ध करना चाहते हैं उन्हें अपनी आवश्यकताएं केवल खनिज तथा धातु व्यापार निगम नई दिल्ली से पंजीकृत करानी चाहियें, चाहे उन्हें मद की आवश्यकता चपटे रूप में या कुण्डलित रूप में हो; इसलिये भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० (सेल) अलग से कोई भी मांग पंजीकृत नहीं करेगा।

(3) भारतीय इस्पात प्राधिकर लि०, तार छड़ों की मांगों को नीति के अनुसार पंजीकृत करेगा, यह मांग कुण्डलित रूप में तार छड़ों के लिये हो सकती है।

(4) निम्नलिखित अधिकतम चौड़ाई उन सम्बद्ध वास्तविक उपयोक्ताओं (औद्योगिक) के लिये लागू होगी जो अपनी आवश्यकता 30 "बीजी" और इससे पतली पट्टियों के लिये पंजीकृत कराते हैं और जो सीमा शुल्क विभाग की पूर्वोक्त अधिसूचना के अन्तर्गत कर की रियायत के लिये पात्र हैं :—

अंतिम उत्पाद	अधिकतम लागू चौड़ाई
घड़ी की पट्टियां	75 एमएम
पेन की निब	50 एमएम
रेजर के ब्लेड	25 एमएम

(5) तथापि आवेदन करने पर अर्थात् मानीटरिंग कमेटी को संदर्भ भेजे बिना "अनापत्ति"प्रमाणपत्र सम्बद्ध वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) की वास्तिविकताओं के संबंध में सरणीबद्ध अभिकरण की संतुष्टि के लिये निम्नलिखित द्वारा जारी किए जाएंगे :—

(क) "400"—सीरिज विशिष्टिकरण की कोई भी मद जो खनिज तथा धातु व्यापार निगम के साथ पंजीकृत हो, के लिये खनिज तथा धातु व्यापार निगम ;

(ख) "400" सीरिज और अन्य जंगावरोधी इस्पात के ऐसे सेक्शन जो देश में उपलब्ध न हो, के लिये भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० द्वारा ; और

(ग) उपर्युक्त उक्त पैरा (4) में शामिल वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) की तीन आवश्यकताओं के समरूप सभी पट्टियों के लिये खनिज तथा धातु व्यापार निगम मानिटरिंग कमेटी के अनुमोदन के साथ "अनापत्ति" प्रमाणपत्र प्रदान करने की सामान्य क्रियाविधि अन्य सभी मामलों में लागू होगी ।

(6) खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा 22 बीजी से मोटी शीट्स/पट्टियों का पंजीकरण इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में नहीं किया जायगा ; यह केवल नई दिल्ली में इसके मुख्य कार्यालय में किया जायेगा । राजस्व विभाग की उपयुक्त अधिसूचना के अन्तर्गत सीमाशुल्क कर की रियायती दर के लाभ के इच्छुक वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) के सभी पंजीकरण भी केवल खनिज वर्ग तथा धातु व्यापार निगम द्वारा नई दिल्ली में उनके मुख्यालय में किए जाएंगे ।

(7) लघु पैमाना क्षेत्र में उपलब्ध सीमा शुल्क कर की रियायती दर पर पर 16 बीजी और मोटी सामग्री पाने के इच्छुक सभी वास्तविक उपयोक्ताओं (औद्योगिक) को राजस्व विभाग की उपयुक्त अधिसूचना के अन्तर्गत अपनी मांगों को संबंधित औद्योगिक राज्य निदेशक या अन्य संबंधित प्रायोजित प्राधिकारी द्वारा प्रायोजित करा लेना चाहिये और फिर खनिज तथा धातु व्यापार निगम के पास अपनी आवश्यकताएं पंजीकृत कराने से पहले विकास आयुक्त (लघु पैमाना उद्योग), नई दिल्ली द्वारा जांच करा लेनी चाहिये । वे मामले जिनमें पंजीकरण प्रायोजित प्राधिकारी / विकास आयुक्त (लघु उद्योग) की सिफारिश के बिना किया गया है तो खनिज तथा धातु व्यापार निगम आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिये कदम उठाने से पहले आवश्यक निकासी के लिये मामले को विकास आयुक्त (लघु उद्योग) नई दिल्ली को भेजेगा । इस प्रकार विस्तृत पैमाना क्षेत्र के वास्तविक उपभोक्ता (औद्योगिक) अपनी मांगे डीजीटीडी अथवा इस तरह के प्रायोजित प्राधिकारी द्वारा प्रायोजित कराएगे ।

(8) फिर भी, उपर्युक्त पैरा (7) में दी गई मांग के प्रायोजीकरण से संबंधित क्रियाविधि उन मामलों में लागू नहीं होगी जहां पंजीकरण संबंधित वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) को दिए गए एक विशिष्ट आदेश के मद्दे किया गया है । ऐसे मामलों में, खनिज तथा धातु व्यापार निगम मामले की वास्तविकता से स्वयं संतुष्ट होने के बाद मांग का पंजीकरण सीधे ही कर सकता है । वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) खनिज तथा धातु व्यापार निगम को संबंधित पंजीकरण के साथ स्वतन्त्र व्यावसायिक सम्पदी अभियांत्रिक के सामग्री की आवश्यकताओं विशिष्टताओं और मात्रावार को उचित ठहराते हुए वास्तविक उपयोक्ता को दिए गए विशेष आदेश का निष्पादन करने के लिये एक प्रमाण-पत्र भेजेगा ।

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Commerce)

IMPORT TRADE CONTROL

Public Notice No. 29-ITC(PN)/79

New Delhi, the 2nd June, 1979

Subject : Import/distribution of canalised items of Stainless steel.

F. No. IPC/43/5/78-(Pt.).—Attention is invited to Chapter XII of the Hand Book of Import-Export Procedures, 1979-80 published under the Department of Commerce Public Notice No. 26-ITC(PN)/79, dated the 3rd May, 1979.

2. After the existing para 284 in the said Chapter, the following new para shall be added :—

"284-A. In respect of Stainless steel items canalised for Import, the procedure for distribution will be as under :

(i) Stainless steel plates, sheets and strips should be expressed in terms of the Birmingham Gauge "(B)" and not according to the Standard Wire Gauge "(SWG)" which is relevant only to wires;

(ii) Actual Users (Industrial) who wish to avail themselves of the concessional rate of customs duty under the Department of Revenue Notification No. 133/F. 370/189/77-Cus. dated 1-8-1978 should register their requirements only with MMTC, New Delhi, whether the item is needed by them in the flat or in the coil forms SAIL will, therefore, not register any such demand ;

(iii) SAIL will register demands for wire rods in accordance with the policy; this could be in the form of coils;

(iv) The following maximum widths will be applicable to the concerned Actual Users (Industrial) who register their requirement for 30 BG and thinner strips and who are eligible for duty concession under the aforesaid Department of Revenue Notification—

End Produc	Maximum width applicable
Watc strap s	75mm
Pen nibs	50mm
Razor blades	25mm

(v) 'No objection' certificates would be issued on request i.e. without reference to the Monitoring Committee subject nevertheless to the satisfaction of the canalising agency with regard to bonafides of the Actual User (Industrial) concerned,

(a) by MMTC for any item of '400' series specification registered with it ;

(b) by SAIL for such sections of '400' series and other stainless steels as are not available indigenously; and

(c) by MMTC for all strips conforming to the three AU (Industrial) requirements covered by sub-para (iv) above.

The normal procedure of granting 'No objection' certificates with the approval of the Monitoring Committee will apply in all other cases.

(vi) No registration of sheets/strips thicker than 22 BG will be done by the MMTC in its regional offices; this will be done only in their Head Office in New Delhi. Also all registrations of AU (Industrial) seeking the benefit of concessional rate of custom duty under the aforesaid Notification of the Department of Revenue will be done by the MMTC only in their Head Office in New Delhi.

(vii) All Actual Users (Industrial) in the small scale sector wanting 16 BG and thicker material at the concessional rate of custom duty available under the aforesaid Notification of the Department of Revenue, should have their demands sponsored by the concerned State Director of Industries or other sponsoring authority and then vetted by the Development Commissioner (Small Scale Industries), New Delhi, before registering their requirements with the MMTC, (In cases where registration has been done without the recommendation of the sponsoring authority DC (SSI), the MMTC will refer the case to the DC (SSI), New Delhi for necessary clearance before proceeding to take steps for servicing the requirements). Actual Users (Industrial) in the large scale sector will have their demands sponsored by the DGTD or the concerned sponsoring authority likewise.

(viii) The procedure regarding sponsorship of demand referred to in sub-para (vii) above will, however, not apply in cases where the registration is made against and specific order placed on the Actual User (Industrial) concerned.

In such cases, MMTC may register the demand directly after satisfying itself about the bona-fides of the case. The Actual User (Industrial) will furnish to the MMTC, alongwith the connected registration, a certificate from a professional independent Chartered Engineer justifying the requirement of the material, specifications and quantitywise, for executing the particular order placed on the Actual User.

सार्वजनिक सूचना संख्या 30-आई टी सी (पी एन)/79

नई दिल्ली, 2 जून, 1979

विषय :—कच्चे काजुओं के सम्बन्ध में आयात और वितरण नीति :—आयात-नीति 1979-80

(मिसिल सं० आपीसी/65/13/78-79 से जारी) 1979-80 की आयात-निर्यात क्रियाविधि, हैण्ड बुक के अध्याय-12 की कंडिका-278 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. कच्चे काजुओं के सम्बन्ध में यह निश्चय किया गया है कि आयातित कच्चे काजुओं की उपलब्ध मात्रा का वितरण सरणीबद्ध अभिकरण द्वारा अर्थात् भारतीय काजू निगम लि०, (जिसे इसके बाद "निगम" कहा जाएगा) नीचे संकेतित आधार पर और तरीके से पात्र वास्तविक उपयोक्ताओं को किया जाएगा :—

(1) पात्र वास्तविक उपयोक्ता वे संसाधक हैं जिन्होंने काजुओं के आयात-निर्यात व्यापार में भाग लिया था और जिन्होंने 1968-1969 किसी भी कलैण्डर वर्ष में और 31 अगस्त, 1970 तक काजू संसाधित करने की फैक्ट्री चला रखी थी।

(2) यदि सरणीबद्ध करने की तिथि से लगातार दो वर्षों की अवधि तक एक पात्र वास्तविक उपयोक्ता ने व्यवसाय न किया हो तो वह आयातित कच्चे काजू के आबंटन के लिए पात्र नहीं होगा।

(3) आबंटन उन कारखानों को किए जाएंगे जो संसाधकों (वास्तविक उपयोक्ताओं) ने निगम में दाखिल किए गए प्रपत्र में घोषित किए हैं और/या वे सरणीबद्ध करने की तिथि के बाद उनके द्वारा स्वीकृत कर लिए गए हैं।

(4) जो कारखाना कारीगरों की सुरक्षा, सर्विस की शर्तों या निर्धारण और मजदूरी के भुगतान से सम्बन्धित कानून के उपबन्धों के अनुकूल नहीं होगा वह निगम से कच्चे काजू गिरी के आबंटन के लिए पात्र नहीं होगा।

(5) प्रत्येक कारखाने को आबंटन कारखाने द्वारा रखे गए मस्टर रोल से सुनिश्चित और निगम द्वारा सत्यापित मजदूरों की संख्या के आधार पर निगम द्वारा निश्चित किया जाएगा।

(6) यदि कारीगरों की संख्या कम हो जाएगी तो कारखानों से प्राप्त विवरण के आधार पर और अपने द्वारा किए किए सत्यापन के आधार पर निगम को यह अधिकार होगा कि वह प्रारम्भिक आबंटन को पुनः निर्धारित करें। जिन कारखानों के मस्टर रोल का निगम उनके निरीक्षण के दौरान सत्यापन न कर सका हो, या जिस मामले में निगम ने किसी कारखाने की हकदारी की पुनरीक्षा करना आवश्यक समझा हो उसमें सम्बन्ध में निगम इस मद के आयात को सरणीबद्ध करने के समय प्रपत्र में दिए गए निम्नतम आंकड़े के आधार पर निश्चित की गई कारीगरों की संख्या के आधार पर या यदि आवश्यक हो तो समर्थक साक्ष्य के साथ 1971 में दाखिल की गई आंकड़ा शीट के आधार पर आबंटन करेगा।

(7) कार्पोरेशन द्वारा आबंटित कच्ची काजू गिरियां उसी कारखाने में संसाधित की जाएंगी जिसके सम्बन्ध में निगम द्वारा जारी किए गए आबंटन पत्र में आबंटन किया गया है और किसी अन्य कारखाने को खण्डों में या पूर्ण रूप में हस्तान्तरण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(8) 1 सितम्बर, 1970 के बाद लगातार दो वर्षों या इससे अधिक अवधि के लिए बन्द रहने वाला कारखाना कच्ची काजूगिरियों के आबंटन के लिए पात्र नहीं होगा।

(9) नियतन इस शर्त के अधीन होगा कि आबंटित कच्ची काजूगिरियों की पैदावार के अनुसार 125% के बराबर काजू की गिरियां निर्यात की जाएंगी और उसका प्रमाण निगम को भेजा जाएगा।

3. उपर्युक्त व्यवस्था 1 मई, 1979 से लागू होगी।

Public Notice No. 30/ITC(PN)/79

New Delhi, the 2nd June, 1979

Subject : Import and distribution policy in respect of Raw Cashewnuts-import Policy, 1979-80.

F. No. IPC/65/13/79.—Attention is invited to Para 278 of Chapter XII of the Hand Book of Import-Export Procedures, 1979-80.

2. In respect of Raw Cashewnuts, it has been decided that the available quantity of imported raw cashewnuts will be distributed by the canalising agency viz : the Cashew Corporation of India Limited (hereinafter referred to as "Corporation") to the eligible Actual Users on the basis and in the manner indicated below —

(i) The eligible Actual Users are those processors who had participated in the import and export trade of cashewnuts and operated cashew processing factories in any of the calendar year 1968, 1969 and upto 31st August, 1970.

(ii) An eligible Actual User will cease to be eligible for allocation of imported raw cashew if he was not in business for a continuous period of two years from the date of canalisation

(iii) Allocations will be made to those factories declared by the processors (Actual Users) in the proforma filed with the Corporation and/or accepted by them after the date of canalisation.

(iv) Any factory which does not conform to the provisions of law relating to safety, conditions of service or fixation and payment of wages to the workmen will not be eligible for allotment of raw cashewnuts from the Corporation

(v) The allocation to each factory shall be determined by the Corporation on the basis of the labour strength ascertained from the Muster Roll maintained by the factory and verified by the Corporation

(vi) The Corporation shall have the right to refix the initial allocation if the labour strength has come down based on returns from the factories and the verification carried out by the Corporation With respect to those factories whose Muster Roll could not be verified by the Corporation during the inspection of factories, or where the Corporation considered it necessary to review the entitlement of any factory the Corporation may make allocation on the basis of the labour strength determined on the basis of the lowest of the figure reported in the proforma at the time of canalisation of import of this item or the data sheet filed in 1971 with Corroborative evidence, if necessary.

(vii) Raw cashewnuts allotted by the Corporation shall be processed in the factory in respect of which allotment has been made in the letter of allotment issued by the Corporation and no transfer either in part or in full to any other factory will be permitted

(viii) Any factory closed down for a continuous period of two years or more after 1-9-1970 will not be eligible for allotment of raw cashewnuts

(ix) The allocation shall be subject to the condition that cashew kernels equivalent of 125 per cent in terms of yield of the raw cashewnuts allotted, shall be exported and proof thereof furnished to the Corporation.

3 The above arrangements will take effect from 1st May, 1979

मार्वजनिक सूचना सं० 31-प्राई टी सी (पी एन)/79

नई दिल्ली, 2 जून, 1979

विषय —1979-80 के लिए प्रायात नीति ।

मिसिल सं० आई०पी० सी०/3/46/79; —वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं० 25-प्राई टी सी (पी एन)/79, दिनांक 3 मई, 1979 के अन्तर्गत प्रकाशित अप्रैल, 1979-मार्च 1980 के लिए आयात नीति और उक्त सार्वजनिक सूचना दिनांक 3 मई, 1979 और वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं० 27-आई टी सी (पी एन)/79 दिनांक 21 मई, 1979 के अन्तर्गत जारी किए गए शुद्धिपत्र (क्रम सं० 1 से 69 तक) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2 इनमें आगे निम्नलिखित शुद्धि प्रत्येक के सामने निर्दिष्ट उचित स्थान पर की गई समझी जाएंगी —

क्रम सं०	नीति पुस्तक की पृष्ठ सं०	संदर्भ	अशुद्धि
1	2	3	4
70	7	पैरा 29(ग) (1)	कोष्ठकों के भीतर विद्यमान शब्दों के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा — "ऐसी प्रमाणित बचत के सम्बन्ध में"
71	10	अध्याय 6 44(1)	द्वितीय वाक्य के अन्त में निम्नलिखित चिन्ह और शब्द प्रदर्शित किए जाएंगे — ". जैसा कि नीचे उप-पैरा (2) में दिया गया है ।"
72	20	अध्याय 15 106(3)	अन्त में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा — "उपर्युक्त उप-पैरा (1) में उल्लिखित निर्यात निष्पादन के समर्थन में आवेदक को सनदी लेखापाल या लागत लेखापाल से एक प्रमाणपत्र निर्यात का वर्ष, निर्यातित उत्पाद का विवरण और निर्यात का जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य प्रदर्शित करते हुए प्रस्तुत करना चाहिए ।"
73	34	अध्याय-20 पैरा 193	वर्तमान उप-पैरा (6) के बाद निम्नलिखित नया उप-पैरा जोड़ा जाएगा — "(7) परिशिष्ट तैयार मदों को प्रदर्शित करते है , ऐसे सभी मामलों में सम्बन्धित नीति

1	2	3	4
			अर्ध-तैयार सामग्री के लिए भी लागू होगी। लेकिन कुछ मामलों में प्रविष्टि विशेष रूप से अपरिष्कृत या प्रूफ मशीन्ड सामग्री को प्रदर्शित करती है ; इसमें अर्ध-तैयार मदें भी शामिल होंगी।"
74	35	अध्याय-20 पैरा 195	वर्तमान उप-पैरा (4) के बाद निम्नलिखित नया उप-पैरा जोड़ा जाएगा :— "(5) आटोमोटिव संघटकों/अनुषंगियों के मामले में जिस के आवेदनपत्र नान-आटोमोटिव भी होंगे वे भी सम्बन्धित प्रविष्टियों में शामिल होंगे।"
75.	35	अध्याय-20 उप-पैरा 196(1)	यह उप-पैरा निम्नलिखित अनुसार पढ़ा जाएगा :— "(1) परिशिष्ट 6, 7 और 8 में लोहा व इस्पात की किसी भी मद के तकनीकी विशिष्टिकरण/साइज के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण इस्पात विभाग, नई दिल्ली से लिया जा सकता है जैसा कि पैरा 53 में दिया गया है। इसमें यह पूछताछ भी शामिल होगी कि क्या वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) द्वारा अपेक्षित सामग्री पिघलने वाली कतरन है या नहीं।"
76.	35	अध्याय-20 पैरा 196	वर्तमान उप-पैरा (2) के बाद निम्नलिखित उप-पैरा जोड़ा जाएगा :— "(3) जिन मदों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा गया हो उनके ब्यौरे परिशिष्ट 29 में दिए गए प्रपत्र में दिए जाने चाहिए।"
77.	36	पैरा 211	द्वितीय पंक्ति में "पहले" शब्द के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :— "या बाद में"
78.	44	परिशिष्ट-2 प्रविष्टि सं० 62 "स्पाट वैलडिंग मशीन"	यह प्रविष्टि हटा दी जाएगी।
79.	45	परिशिष्ट-2 प्रविष्टि सं०, (6)(1)— (16)–चमड़ा छीलने के लिए ब्लेड और स्पलिटिंग मशीन	यह प्रविष्टि हटा दी जाएगी।
80.	45	परिशिष्ट-2 प्रविष्टि सं० 6 (2) 48 अर्थात् "टू नीडल लाक स्टिचिंग मशीन, केवल हेड्स"	"केवल हेड्स" शब्दों को हटा दिया जाएगा।
81.	46	परिशिष्ट-2 प्रविष्टि सं० (8) "स्टूडियो और चल-चित्र प्रयोगशाला उपस्कर"	उक्त शीर्षक के प्रारम्भ में "सिनेमैटोग्राफिक" शब्द जोड़ा जाएगा।
82.	49	परिशिष्ट-3 प्रविष्टि सं० 22	"एल्यूमिना पालिशिंग पाउडर" शब्दों को हटा दिया जाएगा।
83	51	परिशिष्ट-3 प्रविष्टि सं० 154 "शुद्ध सिट्रोनिलोल"	इस प्रविष्टि को "शुद्ध सिट्रोनिलोल" के रूप में पढ़ा जाएगा।
84.	52	परिशिष्ट-3, प्रविष्टि सं० 220	निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :— "(सभी श्रेणियां)"
85.	55	परिशिष्ट 3, प्रविष्टि सं० 352 "आर्थोडाइक्लोरो बेंजीन"	यह प्रविष्टि हटा दी जाएगी।
86.	55	परिशिष्ट-3 प्रविष्टि सं० 434	"रिम्स" शब्द के पश्चात् निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :— "और टायर ट्यूब्स, जिनमें समान संख्या के फ्लेप भी शामिल हैं।"
87.	68	परिशिष्ट-3 प्रविष्टि सं० 666	इसके अंक "7" को "8" के रूप में पढ़ा जाएगा।
88	69	परिशिष्ट-4	विद्यमान प्रविष्टि सं० 65 के पश्चात् निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :— "66. परिशिष्ट 5 और 8 में आए हुए से भिन्न कटिंग सहित सभी नुक्स वाली/कतरन सामग्री परन्तु इसमें पीतल की कतरन एवं जस्ता/जस्ता मिश्रधातु कतरन शामिल नहीं है।"
89.	71	परिशिष्ट-5 प्रविष्टि सं० 80 "कार्क वुड उत्पाद"	वर्तमान प्रविष्टि को इस प्रकार पढ़ा जाएगा :— "प्राकृतिक कार्क या रद्दी से बनी कार्क वुड की वस्तुएं"
90.	71	परिशिष्ट-5 प्रविष्टि सं० 118	इस प्रविष्टि को हटाया जाएगा।

1	2	3	4
91	73	परिशिष्ट-5 प्रविष्टि स० 258	इस प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा — "258—ए पोलिएथिलीन ग्लाइकोल"
92	75	परिशिष्ट-5 प्रविष्टि स०, 364 "मोटरों के लिए दिक्परिवर्तक और एक अश्व-शक्ति या इससे अधिक का जनित्र।"	शब्द "और इससे अधिक" को हटाया जाएगा ।
93.	78	परिशिष्ट-5 प्रविष्टि सं० 457(4)	यह प्रविष्टि हटा दी जाएगी ।
94.	78	परिशिष्ट-5 प्रविष्टि सं० 457(11)	वर्तमान विवरण को इस प्रकार पढ़ा जाएगा — "इलेक्ट्रोलिटिक केपेसिटर्स के लिए एच्ड एल्युमीनियम फायल ।"
95.	78	परिशिष्ट-5 प्रविष्टि स० 457(29)	इस प्रविष्टि को इस प्रकार पढ़ा जाएगा :— "पावर लाइन कैरि-कम्यूनिकेशन्स के लिए वेव ट्रैप्स और कपलिंग कैपासिटर्स ।"
96	85-86	परिशिष्ट-8	(1) मद स०, 17 और 27 में "अनगढ़" शब्द हटा दिया जाएगा । (2) अन्त में वर्तमान टिप्पणी स० (1) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :— "(2) खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से आयात के लिए सरणीबद्ध अलौह धातुएं केवल "अनगढ़" रूप में होगी । गढ़े हुए रूप में उन का आयात अन्य परिशिष्टों में सम्बन्धित प्रविष्टियों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।"
97.	89	परिशिष्ट-10 मद सं० 4	कोष्ठकों के भीतर प्रदर्शित शब्द "फाल्तू पुर्जे" के स्थान पर "भवी" शब्द रखा जाए ।
98	92	परिशिष्ट-10 मद सं० 42 उप-प्रविष्टि सं० 4(क)	शब्द "मूवर्स" के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :— "और उसके पुर्जे"
99.	92	परिशिष्ट-10 मद सं० 42 उप-प्रविष्टि सं० 4(ख)	वर्तमान विवरण को इस प्रकार पढ़ा जाएगा :— "शीर्षक सं० 84-क के अन्तर्गत आने वाले 75 एच पी से अधिक के अन्तरदहन इंजिन।"
100	93	परिशिष्ट-10 शर्त सं० (4)	अंतिम वाक्य में "परन्तु" शब्द को "अतिरिक्त" पढ़ा जाएगा ।
101	121	परिशिष्ट-17 क्रम सं० बी, 11.1 कालम 4(क)	शब्द "या परिशिष्ट 9 में शामिल की गई मदें" को हटाया जाएगा।
102.	127	परिशिष्ट-17 क्रम सं० बी० 60 कालम 2	"एस्बेस्ट्स" और "सीमेंट" शब्दों के बीच में प्रदर्शित चिन्ह "/" को हटा दिया जाएगा ।
103	168	परिशिष्ट-21	अंतिम कंडिका 5 को 6 के रूप में पढ़ा जाएगा ।
104.	133	परिशिष्ट-17 क्रम स० एफ० 1.2(1) कालम 4, मद (क)	अन्त में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :— "ओटीएस कैप्स"
105.	136	परिशिष्ट-17 क्रम सं० आई-1 कालम 4, मद (क)	अन्त में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :— "और क्राफ्ट लाइनर पेपर"
106.	138	परिशिष्ट-17 क्रम स० एम 1.2 कालम 4	मद (ख) निम्नलिखित अनुसार पढ़ी जाएगी :— "संवेष्टन सामग्री, अर्थात् पोलिएथिलीन मोल्डिंग पाउडर"
107	138	परिशिष्ट-17 क्रम स० एम० 1.3 कालम 4	निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी :— "(ख) संवेष्टन सामग्री, अर्थात् पोलिएथिलीन मोल्डिंग पाउडर"
108.	184	परिशिष्ट-21	वर्तमान परिशिष्ट 28 के बाद निम्नलिखित नया परिशिष्ट (इस सार्वजनिक सूचना का अनुबन्ध) जोड़ा जाएगा :— परिशिष्ट 29—वास्तविक उपयोक्ताओं औद्योगिक द्वारा स्पष्टीकरण मांगने के लिए प्रपत्र"

सार्वजनिक सूचना संख्या 31-आई० टी० सी० (पी० एन०)/79, 31 दिनांक 2-6-1979 का अनुबन्ध

परिशिष्ट-29

वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) द्वारा

स्पष्टीकरण प्राप्त करने के प्रपत्र

1. वास्तविक उपयोक्ता का नाम और पता
2. प्रायोजक प्राधिकारी का नाम
3. विनिर्मित उत्पाद

4. उस मद का पूरा विवरण (जिसमें यदि उपलब्ध हो, तो विशिष्टिकरण/साहित्य/सूचीपत्र सहित) जिसके लिए स्पष्टीकरण मांगा गया है। (रसायनकों के मामले में यदि कोई हों तो कृपया उसके तकनीकी और समानार्थी नाम दिए जाएं)।

5. आयात नीति, 1979-80 में, मद के लिए प्रविष्टि और परिशिष्ट संख्या का संकेत दें।

6. क्या मद पहले आयात की गई थी और यदि हां, तो किस विशिष्टिकरण में की गई थी, अर्थात् वह प्रविष्टि संख्या और परिशिष्ट संख्या भी जाए जिसके अन्तर्गत सीमाशुल्क द्वारा निकासी की गई है, उसके साथ सीमा शुल्क स्वीकृत विशिष्टिकरण भी दिया जाए।

7. अन्तिम उपयोग सम्बन्धी हवाला अर्थात् क्या वह कच्चा माल संघटक, फालतू पुर्जे, औजार, पैक करने का सामान या उपभोग्य सामग्री है। (उपभोग्य सामग्री के लिए कृपया संकेत दीजिए कि यह किस संसाधन में प्रयुक्त होती है)।

8. वास्तविक उपभोक्ता द्वारा मांगा गया स्पष्टीकरण अपने दृष्टिकोण सहित।

9. और कोई संगत सूचना।

PUBLIC NOTICE NO. 31-ITC (PN)/79

New Delhi, the 2nd June, 1979

Subject: Import Policy for 1979-80

F.No. IPC/3/46/79.—Attention is invited to Import Policy for April, 1979-March, 1980 published under the Department of Commerce Public Notice No. 25-ITC (PN)/79, dated the 3rd May, 1979, and to Errata (S. Nos. 1 to 69) issued under the said Public Notice, dated the 3rd May, 1979 and under the Department of Commerce Public Notice, No. 27-ITC (PN)/79, dated the 21st May, 1979.

2. The following further Errata shall be deemed to have been made therein, at the appropriate places indicated against each :—

Sl. No.	Page No. of Policy Book, 1979-80	Reference	Erratum
(1)	(2)	(3)	(4)
70.	7	Chapter 6, Para 29(c)(i)	At the end of the words existing within the brackets, add "in respect of such certified consumption."
71.	10	Chapter 6, Para 44(1)	The following sign and words shall appear at the end of the second sentence:— "-as provided in sub-para (2) below."
72.	20	Chapter 15, Para 106(3)	The following shall be added at the end :— "In support of the export performance referred to in sub-para (1) above, the applicant should produce a certificate of Chartered or Cost Accountant, showing the year of export, the description of the product(s) exported and the f.o.b. value of exports."
73.	34	Chapter 20, Para 193.	After the existing sub-para (6), the folloing new sub-para shall be added:— "(7) The Appendices refer to finished items, in all such cases, the relevant policy would apply to semi-finished material as well. In a few cases, however, the entry specifically refers to rough or proof machined material; this would include semi-finished items as well."
74.	35	Chapter 20, Para 195.	After the existing sub-para (4), the following new sub-para shall be added:— "(5) In the case of Automotive components/ancillaries, those having non-automotive application as well, would be covered by the respective entries."
75.	35	Chapter 20, Sub-Para 196(1).	This sub-para shall read as under:— "(1) Clarifications regarding technical specifications/size etc. of any iron and steel item in Appendices 6, 7, and 8 may be had from the Department of Steel, New Delhi as set out in paragraph 53. This would include queries as to whether material required by an Actual User (Industrial) is melting scrap or not."
76.	35	Chapter 20, Para 196.	After the exiting sub-para (2), the following new sub-para shall be added :— "(3) Particulars of item in respect of which clarification is sought should be given in the proforma given in Appendix 29."

1	2	3	4
77.	36	Chapter 21, Para 211.	In the 2nd line after the word "before" the following shall be added :— "or after".
78.	44	Appendix 2, Entry No. 62, "Spot Welding Machine".	This entry shall be deleted.
79.	45	Appendix 2, Entry No. (6)(i)16 "Blades for leather shaving and splitting machine."	This entry shall be deleted.
80.	45	Appendix 2, Entry No. (6) (ii) 48-viz. "Two needle, lock stitching machine, heads only."	The words "heads only" shall be deleted.
81.	46	Appendix 2, Entry No. (8) "Studio and Film Laboratory Equipment."	The word "Cinematographic" shall be added at the start of the said heading.
82.	49	Appendix 3, Entry No. 22.	The words "Alumina polishing powder" shall be deleted.
83.	51	Appendix 3, Entry No.154 "Citronellol pure".	This entry shall read as "Citronellal, pure".
84.	52	Appendix 3, Entry No. 220.	The following shall be added:– "(all grades)".
85.	55	Appendix 3, Entry No. 352 "Ortho di Clorobenzene"	This entry shall be deleted.
86.	55	Appendix 3, Entry No. 434.	After the word "Rings", the following shall be added :— "as well as tyres/tubes. (including flaps in equal numbers)".
87.	68	Appendix 3, Entry No. 666.	The figures "7" therein shall be read as "8".
88.	69	Appendix 4	After the existing Entry No. 65, the following shall be added :— "66. All defective/scrap material as well as cuttings other than those appearing individually in Appendices 5 & 8, excluding brass scrap and zinc/zinc alloy scrap."
89.	71	Appendix 5, Entry No. 80 "Corkwood Products".	The existing description shall be read as under:— "Corkwood articles— made of natural cork or waste."
90.	71	Appendix 5, Entry No. 118.	This entry shall be deleted.
91.	73	Appendix 5, Entry No. 258.	After this entry, the following entry shall be added:— "258-A. Polyethylene glycol."
92.	75	Appendix 5, Entry No. 364. "Commutators for motors and generators upto 1 HP and above."	The words "and above" shall be deleted.
93.	78	Appendix 5, Entry No. 457 (4)	This entry shall be deleted.
94.	78	Appendix 5, Entry No. 457(11).	The existing description shall read as under:— "Ethed Aluminium foil for electrolytic capacitors."
95.	78	Appendix 5, Entry No. 457(29).	This entry shall read as under:— "Wave traps and coupling capacitors for powerline carrier communication equipment."
96.	85–86	Appendix 8	(i) In items No. 17 and No. 27, the word "unwrought" shall be deleted. (ii) After the existing Note No. (1) at the end, the following shall be added:— "(2) Non-ferrous metals canalised for import through the MMTC will be in "unwrought" form only. Their import in wrought form will be governed by respective entries in other Appendices."
97.	89	Appendix 10, Item No. 4.	For the word "spares" appearing within the brackets, substitute "items".
98.	92	Appendix 10, Item No. 42, Sub-entry No. (4)(a).	After the word "movers", the following shall be added:— "and parts thereof".
99.	92	Appendix 10, Item No. 42, Sub-entry No. (4)(b).	The existing description shall read as under:— "(b) Internal combustion engines above 75 HP covered by Heading No. 84.06."
100.	93	Appendix 10, Condition No. (4).	In the last sentence, the word "But" shall read as "Besides."
101.	121	Appendix 17, S.No. B. 11.1 Column 4, (a)	The words "or items included in Appendix 9" shall be deleted.

1	2	3	4
102.	127	Appendix 17, S. No. B. 60, Col. 2.	The mark "/" appearing between the words "Asbestos" and "Cement" shall be deleted.
103.	133	Appendix 17, Sl. No. F.1.2(i), Col. 4, Item (a).	The following shall be added at the end:— "/OTS cans."
104.	136	Appendix 17, Sl. No. I.1. Col.4, Item (a).	The following shall be added at the end:— "and Kraft liner paper."
105.	138	Appendix 17, Sl. No. M.1.2, Col. 4.	Item (b) shall read as under:— "Packing material, viz. polythylene moulding powder."
106.	138	Appendix 17, Sl. No. M.1.3. Col. 4.	The following item shall be added :— "(b) Packing material, viz. polyethylene moulding powder."
107.	168	Appendix 21	The last para No. shall be read as "6" instead of "5".
108.	184	Appendices	After the existing Appendix 28, the following new Appendix (Annexure to this Public Notice) shall be added :— "Appendix 29—Proforma for seeking clarification by Actual Users (Industrial)."

Annexure to Public Notice No. 31 ITC(PN)/79

Dated the 2nd June, 1979

APPENDIX 29

Proforma for seeking clarifications by Actual Users (Industrial).

1. Name and address of the Actual User.
2. Name of the Sponsoring authority.
3. Product manufactured.
4. Complete description (including specifications/literature/catalogue, if available) of the item for which a clarification is required. (In the case of Chemicals, please give technical name and synonyms, if any).
5. Indicate the entry and Appendix No. for the item in the Import Policy, 1979-80.
6. Whether the item was earlier imported and if so, under what classification, i.e. give Entry No. and Appendix No. under which cleared by the Customs, alongwith the classification accepted by the Customs.
7. Details regarding end use i.e. whether raw materials, components, spare, tooling, packing material or consumable. (For consumable, please indicate in which process used).
8. Clarification sought for by the Actual User with their views.
9. Any other relevant information.

सार्वजनिक सूचना सं० 32-आई० टी० सी० (पी० एन०)/79

नई दिल्ली, 2 जून, 1979

विषय :—अप्रैल 1979—मार्च 1980 की आयात-निर्यात क्रियाविधि हैंड बुक।

मिसिल सं० आई पी सी/एच बी/अध्याय 1/79-80 —वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं० 26-आई० टी० सी० (पी० एन०)/79 दिनांक 3 मई, 1979 और उक्त सार्वजनिक सूचना के अन्तर्गत जारी किए गए शुद्धि पत्र (क्र० सं० 1 से 31) में प्रकाशित आयात-निर्यात क्रियाविधि 1979-80 की हैंड बुक की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. निम्नलिखित और शुद्धियां इसमें प्रत्येक के सामने संकेतित उचित स्थान पर की गई समझी जाएं :—

क्रम सं०	आयात-निर्यात क्रिया-विधि 1979-80 की हैंड बुक की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	शुद्धियां
1	2	3	4
32	15	अध्याय 8 पैरा 124	शीर्षक और प्रथम पंक्ति में दर्शाए गए शब्द "इरेक्शनटूल्स" के पश्चात् निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :— "परीक्षण उपकरण"
33	17	अध्याय 8, उप-पैरा 142(4)	दूसरी और तीसरी पंक्तियों में "पैरा 149" शब्द और अंक को "पैरा 146 और 147" के रूप में पढ़ा जाए।

1	2	3	4
34	17	अध्याय 8 पैरा 143	प्रथम वाक्य के पश्चात् निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :— "वर्ष के द्वितीय भाग में आवेदन पत्र फरवरी के पश्चात् नहीं भेजने चाहिएं ।
35	29	अध्याय 11 पैरा 236	(1) विद्यमान पैरा को "236 (1)" के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा । (2) विद्यमान उप-पैरा (i) को पुनः संख्यांकित करने के पश्चात्, नया उप-पैरा जोड़ा जाएगा :— 2. स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रों में स्थित एककों के मामले में पंजीकृत प्राधिकारी सम्बद्ध क्षेत्र का विकास आयुक्त होगा" ।
36	30	अध्याय 11 निर्यातकों का अपंजीकरण, पैरा 248	विद्यमान उप-पैरा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-पैरा जोड़ा जाएगा :— "(4) जब एक निर्यात सदन भारतीय निर्यात संघों के समुदाय के साथ पंजीकृत है और सम्बद्ध निर्यात संवर्धन परिषद्/पण्य वस्तु बोर्ड के साथ भी पंजीकृत है तो भारतीय निर्यात संघों के समुदाय द्वारा ऐसे निर्यातकों का अपंजीकरण संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद्/पण्य वस्तु बोर्ड के साथ स्वतः ही उनके पंजीकरण के लिए लागू होगा । इसी प्रकार यदि कोई निर्यातक संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद्/पण्य वस्तु बोर्ड द्वारा अपंजीकृत किया जाता है तो यह उसी निर्यात उत्पाद (दों) के लिए भारतीय निर्यात संघों की समुदाय के साथ पंजीकरण के लिए स्वतः ही लागू होगा ।"
37	37	अध्याय 11 पैरा 266 (क)	"निर्यातित" शब्द के पश्चात् अन्त में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :— "अनुबन्ध 9, परिशिष्ट 10 में दिए गए प्रपत्र में" ।
38	38	अध्याय 11 पैरा 268 (7)	अन्त में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :— "ऐसे मामलों में आवेदन पत्र सम्बद्ध निर्यात माल के विमोचन की तिथि से तीन मास की अवधि के भीतर भेजे जाने चाहिएं ।"
39	53	अध्याय 14, पैरा 363 (1)	सातवीं और आठवीं पंक्ति में पढ़े जाने वाले अंश "निम्नलिखित संशोधित योजना होगी" को निम्न प्रकार से पढ़ा जाएगाः— "इस योजना के लिए निम्नलिखित आशोधन होंगे" ।
40	57	अध्याय 15 कंडिका 381 (1)	अन्त में पढ़ा जाने वाला वाक्य "यदि आवश्यक हुआ तो, ऐसी अपीलों पर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली द्वारा विचार किया जाएगा" को हटा दिया जाएगा ।
41	68	परिशिष्ट 2 आयात (नियंत्रण) आदेश 1955, उप अनुच्छेद 5 (2)	दूसरी पंक्ति में "चालू रहने" शब्द को "निहित" के रूप में पढ़ा जाएगा ।
42	111	परिशिष्ट-4 उप कंडिका 3(2)	तीसरी पंक्ति में "या" शब्द को "के लिए" के रूप में पढ़ा जाएगा ।
43	120	परिशिष्ट 6 परिशिष्ट संख्या के नीचे कोष्ठक में दिया हुआ अंक	"234" अंक को "218" के रूप में पढ़ा जाएगा ।
44	126	परिशिष्ट 7 प्रायोजक प्राधिकारियों की सूची क्रम सं० 23 (क)	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० के एककों सहायक शाखाओं के मामले में प्रायोजक प्राधिकारी को "भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० (सेल)" के रूप में पढ़ा जाएगा ।
45	134	परिशिष्ट 10 अनुबन्ध—1 पंजीकरण प्राधिकारियों की सूची क्रम सं० 3 कालम 2 और 3	(1) कालम 2 में कोष्ठक में प्रदर्शित "औषधीय एरण्डी के तेल को छोड़कर" को हटा दिया जाएगा । (2) कालम 3 में निम्नलिखित को अन्त में जोड़ा जाएगा :— "और 22, 3 मेन रोड, गांधी नगर, बंगलौर 560009, और कर्नाटक इस्टेट 9वीं मंजिल, 6 लीटल रसल स्ट्रीट, कलकत्ता-700071 पर इसके क्षेत्रीय कार्यालय"

1	2	3	4
46	137	परिशिष्ट–10 अनुबन्ध—3 पंजीकरण एवं सदस्यता प्रमाण पत्र, भाग 2	कालम 1 के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा.— "2. विनिर्मित माल का विवरण"
47	153	परिशिष्ट—11 वास्तविक उपयोक्ताओ के लिए प्रपत्र प्रपत्र क, भाग—3	सनदी लेखापाल/लागत लेखापाल या प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा प्रमाणपत्रों के अन्त में निम्नलिखित "टिप्पणी" जोड़ी जाएगी:— "टिप्पणी:— प्राधिकृत स्रोतो से प्राप्त किए गए आयातित माल (आवेदक को जारी किए गए लाइसेंसों के मदे आयात किए गए से भिन्न) के संबंध में, विवरण के कालम 3 के सामने दिया जाने वाला लागत बीमा भाड़ा मूल्य सनदी लेखापाल/लागत लेखापाल/प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा उनके स्वयं के सर्वोत्तम निर्णय से निर्धारित किया जाएगा"
48	163	परिशिष्ट 11 प्रपत्र "छ" अपेक्षित उपहार, प्रलेखों के लिए सीमा शुल्क परमिटों के लिए आवेदन पत्र	मद (3) में, "एरोग्राम पर" के शब्दों को हटा दिया जाएगा।

[सिसिल सं० आईपीसी/एच बी/अध्याय—1/79-80 से जारी]

का० वें० शेषाद्रि,
मुख्य नियंत्रक, आयात–निर्यात

PUBLIC NOTICE NO. 32-ITC(PN)/79

New Delhi, the 2nd June, 1979

Subject:—Hand Book of Import-Export Procedures, April 1979—March 1980

Attention is invited to the Hand Book of Import-Export Procedures, 1979-80, published under the Department of Commerce Public Notice No. 26-ITC (PN)/79, dated the 3rd May, 1979 and Errata (Sl. Nos. 1 to 31) issued under the said Public Notice.

2. The following further Errata shall be deemed to have been made therein, at the appropriate places indicated against each :—

Sl. No.	Page No. of Hand Book of Import-Export Procedures, 1979-80	Reference	Erratum
1	2	3	4
32.	15	Chapter VII Para 124	After the words "erection tools" appearing in the heading and in the first line, the following shall be added :— "/testing equipment".
33.	17	Chapter VIII Sub-para 142(iv)	In second and third lines, the word and figure "para 149" shall read as "paras 146 and 147".
34.	17	Chapter VIII Para 143	After the first sentence, the following shall be added:— "in the second half year, the application should be made not later than the end of February."
35.	29	Chapter XI Para 236.	(i) The existing para shall be re-numbered as "236(1)". (ii) After the existing sub-para (1) as re-numbered, the following new sub-para shall be added:— "(2) In the case of units situated in free trade zones, the registering authority will be Development Commissioner of the concerned zone."
36.	30	Chapter XI Deregistration of Exporters, Para 248.	After the existing sub-para(3), the following new sub-para shall be added :— "(4) Where an Export House is registered with the Federation of Indian Export Organisations and also with the respective Export Promotion Council/Commodity Board, the deregistration of such exporter by FIEO will apply automatically to his registration with the respective Export Promotion Council/Commodity Board. Likewise, if such an exporter is deregistered by Export Promotion Council/Commodity Board, it will automatically apply to his registration with the FIEO for the respective export product(s)."
37.	37	Chapter XI Para 266(a)	The following shall be added at the end after the word 'exported':— "in the form appearing in Appendix 10, Annexure IX."

1	2	3	4
38.	38	Chapter XI Sub-Para 268(7).	The following shall be added at the end:— "The applications in such cases should be made within a period of three months from the date of redemption of the connected export bond."
39.	53	Chapter XIV Para 363(1).	In the 7th and 8th lines, the portion reading "The following will be the revised scheme." shall read as under:— "The following will be the amendments to the scheme :—"
40.	57	Chapter XV Para 381(1).	The last sentence reading "Such appeals will be considered by the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi, if necessary." shall be deleted.
41.	68	Appendix 2 Imports (Control) Order, 1955, sub-clause 5(2).	The word "continued" appearing in 2nd line shall read as "contained".
42.	111	Appendix 4 sub-para 3(2).	In the third line, the word "or" shall read as "for".
43.	120	Appendix 6, Portion in brackets below the Appendix Number.	The figure "234" shall read as "218".
44.	125	Appendix 7, List of Sponsoring Authorities, Sl. No. 23(a).	The Sponsoring Authority in the case of "Units/Subsidiaries of Steel Authority of India Limited (SAIL)" shall be read as "Steel Authority of India Ltd. (SAIL)—Head Office."
45.	134	Appendix 10, Annexure-I List of Registering Authorities, Sl. No. 3, Cols. 2 & 3.	(i) In Col. 2 words appearing in brackets "(excluding Medicinal Castor Oil)" shall be deleted. (ii) In Col. 3, the following shall be added at the end:— "and its Regional offices at 22, III Main Road, Gandhi Nagar, Bangalore-560009; and Kankaria Estate, 9th Floor, 6, Little Russel Street, Calcutta-700071."
46.	137	Appendix 10, Annexure-III Registration-cum-Membership Certificate, Part II.	After Col. 1, the following shall be inserted:— "2. Description of goods manufactured".
47.	153	Appendix 11, Form for Actual Users Form A, Part III.	The following 'Note' shall be added at the end of Certificate by the Chartered Accountant/Cost Accountant or Sponsoring Authority:— "Note: In respect of the imported material procured from authorised sources (other than those imported directly against licences issued to the applicant), the CIF value to be given against Col. 3 of the statement will be assessed by the Chartered Accountant/Cost Accountant/Sponsoring Authority in his best judgement."
48.	163	Appendix 11 Form G, Applications for CCPs for Gift, Documents required.	In item (3), the words "on an aerogram" shall be deleted.

[ISSUED FROM FILF No. IPC/HB/Chapter 1/79-80]

K.V. SESHADRI

Chief Controller of Imports and Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1979